भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 4633

(दिनांक 24.03.2021 को उत्तर के लिए)

स्थानांतरण नीति

4633. श्री नरेन्द्र कुमार :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के स्थानांतरण के लिए कोई नीति है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का देश में सरकारी कर्मचारियों के लिए एकल स्थानांतरण नीति बनाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ड.) क्या सरकार के केन्द्र और राज्य सरकार, दोनों के कर्मचारियों के लिए एकल स्थानांतरण नीति के लिए कोई आयोग गठित करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) और (ख) : सरकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण/तैनाती के संबंध में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को उनके कर्मचारियों के स्थानांतरण/तैनाती हेतु निम्नलिखित का प्रावधान करते हुए अपने खुद के दिशा-निर्देश बनाए जाने अपेक्षित हैं :-

i. न्यूनतम अवधि;

ii. स्थानांतरण की सिफारिश करने के लिए सिविल सेवा बोर्ड के समकक्ष एक तंत्र रखना; और

संबंधित मंत्रालयों/विभागों को स्थानांतरण नीति को पब्लिक डोमेन में रखना भी अपेक्षित है।

(ग) से (ड.) : सरकारी कर्मचारियों के लिए एकल स्थानांतरण नीति बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि कर्मचारियों के लिए स्थानांतरण/तैनाती संबंधी दिशा-निर्देश प्रत्येक मंत्रालयों/विभागों की विशेष आवश्यकता के आधार पर बनाए जाते हैं। इसके अलावा, राज्य लोक सेवाएं राज्य सूची के तहत आती है जिसके लिए राज्य सरकारें नियम और नीतियां बनाने में सक्षम हैं। तद्नुसार, केन्द्र और राज्य सरकार दोनों के कर्मचारियों के लिए एकल स्थानांतरण नीति हेतु किसी आयोग की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

*****